रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941
No. 325]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/BHADRA 28, 1941

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

सं. एल/61/10-नालसा.—दिनांक 6/9/2019 की अधिसूचना संख्या एल/61/10/नालसा दिनांक 28 अगस्त, 2019 के अनुशेष के रूप में केन्द्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम 2019 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन जोड़ता है :-

"राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 4 में उप-विनियम (3) का लोप किया जायेगा ।"

आलोक अग्रवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./215/19]

टिप्पण : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या एल/61/10/नालसा, दिनांक 9 सितम्बर, 2010 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या एल/61/10/नालसा, दिनांक 22.10.2018 (भारत के राजपत्र में 25.10.18 को प्रकाशित किया गया) तथा 28.08.2019 (भारत के राजपत्र में 06.09.2019 को प्रकाशित किया गया) के द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)

ADDENDUM

New Delhi, the 18th September, 2019

No. L/61/10/NALSA.—As an addendum to Notification No. F. No. L/61/10/NALSA dated 28th August, 2019 published in the Gazette of India on 6/9/2019, the Central Authority adds the following additional amendment in the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Amendment Regulations, 2019:**—**

"In the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010, in regulation 4, sub-regulation (3) shall be omitted."

ALOK AGARWAL, Member-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./215/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* notification No. L/61/10/NALSA dated the 9th September, 2010 and were last amended *vide* notification No. L/61/10/NALSA dated 22/10/2018 (published in the Gazette of India on 25.10.2018) and 28/08/2019 (published in the Gazette of India on 06/09/2019).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.09.20 19:05:07 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941**
No. 312]	**NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/ BHADRA 15, 1941**

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

फा.सं. एल/61/10/एन ए एल एस ए.—केंद्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों को नि:शुल्क तथा सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 (इसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 4 में, --

(i) उप-विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(1क) प्रबंध कार्यालय विधिक सहायता और सलाह की वांछा रखने वाले व्यक्तियों के लिए उनके मामलों एवं विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी विधिक सेवाओं की सभी सूचनाओं के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा ।"

3. मूल विनियम के विनिमय 8 में, --

(i) उप- विनिमय (2) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि पैनल के आकार को इस प्रकार अनुकूलित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक वकील को पर्याप्त मामले आबंटित किए जा सकें ।"

(ii) उप-विनियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(11) प्रत्येक विधि सेवा संस्थान के पैनल में प्रतिधारक वकीलों की संख्या, कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा यथाअवधारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

(iii) उप-विनियम (12) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिधारण वकील, जो प्रबंध कार्यालय में है, के मानदेय का संदाय दिनों की संख्या के आधार पर विनिश्चय कर सकेगा । ऐसे मामलों में दिया जाने वाला मानदेय जिला और तालुका स्तर के न्यायालय में बैठने का प्रतिदिन 1500 रुपये और उच्च न्यायालय स्तर के लिए 2500 रुपये से कम नहीं होगा।"

4. मूल विनियम के, विनियम 10 में, --

(i) उप-विनियम (2) के खंड (i) में, "उच्चतम न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ज्येष्ठ अधिवक्ता को, जो नामनिर्दिष्ट किया जायें" शब्दों के स्थान पर "ज्येष्ठ अधिवक्ता या यथा नामनिर्दिष्ट कम से कम 15 वर्ष का अनुभवी अधिवक्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उप-विनियम (3) के खंड (i) में, "उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ज्येष्ठ अधिवक्ता को, जो नामनिर्दिष्ट किया जाए" शब्दों के स्थान पर "ज्येष्ठ अधिवक्ता या यथा नामनिर्दिष्ट कम से कम 15 वर्ष का अनुभवी अधिवक्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) उप-विनियम (5) के खंड (ii) में "अधिकारी" शब्द के पश्चात् "या" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ।

आलोक अग्रवाल, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./199/19]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. एल/61/10 एनएएलएसए तारीख 9 सितंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. एल/61/10 एनएएलएसए तारीख 22 अक्तूबर, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

F.No. L/61/10/NALSA.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) and in pursuance of the provisions in section 4 of the Act to make available free and competent legal services to the persons entitled thereto under section 12 of the said Act, the Central Authority hereby makes the following regulations further to amend the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010, namely:—

1. **Short title and commencement. –** (1) These regulations may be called the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 4, -

(i) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) The Front Offices shall act as one stop centres for legal aid seekers to receive legal aid and advice and all information about their cases and all legal services provided by the Legal Services Institutions."

3. In the principal regulations, in regulation 8, -

(i) in sub-regulation (2), after first proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that the size of panel should be optimised so that each lawyer can be allotted sufficient cases."

(ii) for sub-regulation (11), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(11) The number of Retainer lawyers in the panel of each Legal Services Institution, should not exceed the minimal requirement as determined by the Executive Chairman or the Chairman, as the case may be."

(iii) in sub-regulation (12), after first proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that the State Legal Services Authority may decide to make the payment of honorarium to the Retainer Lawyers on the basis of number of days they man the Front Office. In such cases the honorarium so payable shall not be less than ₹ 1500 per day of sitting at the district and taluka court level and ₹ 2500 at the High Court level."

4. In the principal regulations, in regulation 10, -

(i) in sub-regulation (2), in clause (i), for the words "a sitting or retired judge of the Supreme Court or a Senior Advocate as may be nominated", the words "a Senior Advocate or an Advocate of at least 15 years of standing as nominated" shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (3), in clause (i), for the words "a sitting or retired judge of the High Court or a Senior Advocate as may be nominated", the words "a Senior Advocate or an Advocate of at least 15 years of standing as nominated" shall be substituted.

(iii) in sub-regulation (5), in clause (ii), after the word "officer", the word "or" shall be inserted.

ALOK AGARWAL, Member-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./199/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* notification No. L/61/10/NALSA dated the 9th September, 2010 and were last amended *vide* notification No. L/61/10/NALSA dated the 22nd October, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.07 14:32:09 +05'30'